



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.01.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने चैंकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ एक शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा एक मो0सा0 बुलट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनांक 17.01.2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चैंकिंग अभियान के दौरान चमरावल रोड पर एक बुलट मो0सा0 नं0 UP-12BL-2526 को रुकने का इशारा किया गया लेकिन नहीं रुका । संदिग्ध होने पर मो0सा0 का पीछा किया गया तो अभियुक्त बिजलीघर रोड होते हुये मेरठ जाने वाले रास्ते पर मुड गया व हडबडाहट व तेजी से भागने के चक्कर में खेत में गिर कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त फिरोज गोली लगने से घायल हो गया । जिसे प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल बागपत भिजवा दिया गया है । अभियुक्त फिरोज के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक बुलट मो0सा0 नं0 UP-12BL-2526 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बागपत द्वारा पुलिस टीम को उचित इनाम देने की घोषणा की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.फिरोज पुत्र इकबाल निवासी भौजाण पट्टी करबा दोघट थाना दोघट जनपद बागपत
हाल पता गाँव हुसैनपुर कलाँ थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 01 बुलट मो0सा0 नं0 UP-12BL-2526

गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 03/2007 धारा 307/414 भादवि थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2- मु0अ0सं0 326/12 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 623/12 धारा 392/411/120बी भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 355/12 धारा 307 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 287/12 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 82/13 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7- मु0अ0सं0 460/14 धारा 394/302/120बी भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8- मु0अ0सं0 380/17 धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 9- मु0अ0सं0 396/17 धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 10- मु0अ0सं0 43/2023 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड़ व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 506 विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-है0का0 478 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-का0 25 राजीव चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।
- 7- है0का0 390 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम बागपत ।
- 8- का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस टीम बागपत ।
- 9- है0का0 298 सतीश कुमार एसओजी टीम जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 434 दीपक एसओजी टीम जनपद बागपत ।
- 11-का0 375 मोनू एसओजी टीम जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 18.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 382/2019 धारा 302/394 भादवि में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.05.2019 को थाना बडौत पर वादी प्रवीन कुमार पुत्र बालमुकन्द निवासी मौहल्ला जवाहर नगर थाना कांधला जिला शामली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के चालक टीकाराम पुत्र फूलसिंह निवासी भिन्ड को गोली मारकर स्कार्पियो गाडी छीन ली है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर



मु0अ0सं0 382/2019 धारा 302/394 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1-उपेन्द्र उर्फ उप्पा पुत्र बलजोर निवासी पट्टी खोच्वा बावली थाना बडौत, 2-राहुल उर्फ बिटटू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम सिसोली थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर व 3.आदेश पुत्र ब्रहमपाल निवासी भौराखुर्द थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर के नाम प्रकाश मे आये तथा अभियुक्तगण 1-उपेन्द्र उर्फ उप्पा को थाना कांधला जनपद शामली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 2-आदेश पुत्र ब्रहमपाल थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ दिनांक 25.06.2019 को हुई पुलिस मुठभेड में मारा गया

था । अभियुक्त राहुल उर्फ बिट्टू पुत्र रामकुमार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 382/2019 धारा 302/394 भादवि में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राहुल उर्फ बिट्टू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 382/19 धारा 302/394 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 483/20 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 484/20 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- मु0अ0सं0 842/21 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- मु0अ0सं0 1173/19 धारा 174ए थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- मु0अ0सं0 51/23 धारा 3/27 आयुध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत
- 7- मु0अ0सं0 81/08 धारा 323/324/504/506 थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।
- 8- मु0अ0सं0 297/08 धारा 302/201 भादवि थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।
- 9-मु0अ0सं0 301/08 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।
- 10- मु0अ0सं0 05/09 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।
- 11-मु0अ0सं0 12/10 धारा 302/120बी/394 भादवि थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।
- 12- मु0अ0सं0 107/10 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।

13-मु0अ0सं0 14/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना भौराकला मुजफ्फरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत ।
- 2-उ0नि0 गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।
- 4-का0 413 आकाश सैनी थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 43/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/2019 धारा 63 आबकारी अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में अभियुक्त राहुल पुत्र बलराज व सचिन पुत्र श्रीपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लीलू पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 43/2019 धारा 63 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 475/2020 धारा 63 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 561/2020 धारा 63 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 255/2021 धारा 63/72 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 1015/2021 धारा 63/72 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 798/2022 धारा 63 आब0अधि0 थाना को0बागपत जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 861/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 508 मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 28/2023 धारा 380 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 6035 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.01.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री शाहिद पुत्र कुर्बान सिंह निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सन्नोवर पुत्र यासीन निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत व अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान के गल्ले में रखे करीब 35000 रुपये चोरी कर लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 28/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 28/2023 धारा 380 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 6035 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामद के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नौवर पुत्र यासीन निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी किये हुए 6035/- रुपये नगद ।(सम्बन्धित मु0अ0सं0 28/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 508 मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 18.01.2023

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 02 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 02 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 50/23 धारा 08/20 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-



1- समीम पुत्र याकूब निवासी पट्टी भौजान कस्बा व थाना दोघट जिला बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 02 किलो 130 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० सुनील कुमार थाना बडौत ।

2-उ०नि० गवेन्द्रपाल सिंह थाना बडौत ।

2-है०का० 120 मनोज कुमार थाना बडौत ।

3-का० 949 विकास तालान थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना चाँदीनगर

दिनांक 18.01.2022

थाना चाँदीनगर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मांगेराम पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम ललियाना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 हरेन्द्र सिंह ।

2.का0 556 इलियास अहमद ।